नोएडा क्षेत्र की निगम की वाहनों की सी0एन0जी0 लीकेज टेस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में निविदा/प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, नोएडा क्षेत्र द्वारा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा डिपो की निगम वाहनों की सी0एन0जी0 लीकेज टेस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय से रू0 1000/— + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत, का नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि कोई फर्म निविदा प्रपत्र को परिवहन निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करती है तो उसे रू0 1180/— का बैंक ड्राफ्ट लिफाफा 'अ' में उपलब्ध कराना होगा। यह धनराशि नॉन रिफन्डेबल तथा अहस्तान्तरणीय है। निविदा में भागीदारी करने हेतु रू0 25,000/— (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ई0एम0डी0 के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिन फर्मों का चयन कार्यादेश हेतु नहीं किया जायेगा उन्हें टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ई0एम0डी0 धनराशि का बैंक ड्राफ्ट वापिस कर दिया जायेगा। दोनों ही बैंक ड्राफ्ट रीजनल मैनेजर, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, नोएडा (Regional manager, UPSRTC, NOIDA) के पक्ष में निर्गत होने चाहिये। मांगें जा रहे ऑफर के विरूद्ध जो कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, उसकी वैधता 31.09.2019 तक रहेगी। फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर कार्यादेश की अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिये किया जा सकता है।

1	टेण्डर क्रय करने का स्थान	क्षे0प्र0 कार्यालय नोएडा ए–109गेल विहार कॉलोनी सै0–23 गौतमबुद्धनगर अथवा निगम की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।
2	टेण्डर फार्म उपलब्धता की तिथि	01.08.2018 से 17.08.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक
3	टेण्डर भरकर जमा करने की अन्तिम तिथि व समय एवं स्थान	17.08.2018 14.00 बजे क्षे0प्र0 कार्यालय नोएडा ए–109गेल विहार कॉलोनी सै0–23 गौतमबुद्धनगर
4	टेण्डर खोलने की तिथि व समय	17.08.2018 15.00 बजे।

निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक/अनिवार्य अर्हताये।

(अ)

I. फर्म पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए एवं कार्य अवधि में इसकी वैध लिखित अनुमति पत्र की निरन्तरता बनी रहनी चाहिये। यदि कार्य अवधि के मध्य में किसी आवेदक फर्म की अनुमति समाप्त हो रही है तो फर्म को कार्य करने के लिये लिखित अनुमति पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनसे कार्य लिया जायेगा। यदि इस कार्य में फर्म विफल रहती है तो परिवहन निगम टेण्डर प्रकिया में प्राप्त द्वितीय अथवा तृतीय न्यूनतम दरकर्ता फर्म से कार्य कराने के लिये स्वतन्त्र होगा। फर्म पर पैनाल्टी भी अधिरोपित की जायेगी, जिसका निर्णय क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

II. फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में जारी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए।

III. सी0एन0जी0 लीकेज टेस्ट नोएडा क्षेत्र में उपलब्ध टाटा एवं लीलैण्ड बसों का फर्म द्वारा अपने अधिकृत सेन्टर पर कराना होगा।

IV. फर्म परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सी0एन0जी0 लीकेज जांच के लिए मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

V. फर्म के पास परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन का वैध प्राधिकार पत्र सेन्टर कोड के साथ होना चाहिए।

VI. फर्म को इस आशय का नोटॉराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी केन्दीय अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा "Black Listed" नहीं है। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है (प्रारूप–02)। संलग्न प्रारूप–01 के अनुसार फर्म को एक घोषणा पत्र भी लिफाफा 'अ' में उपलब्ध कराना होगा।

VII. पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

VIII. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।

<u>सी0एन0जी0 लीकेज टेस्ट के सम्बन्ध में।</u>

(ब)

1– सी0एन0जी0 लीकेज टेस्ट नोएडा क्षेत्र में उपलब्ध टाटा एवं लीलैण्ड बसों का फर्म द्वारा अपने अधिकृत सेन्टर पर कराना होगा।

2– फर्म परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सी0एन0जी0 लीकेज जांच के लिए मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

3– फर्म के पास परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन का वैद्य प्राधिकार पत्र सेन्टर कोड के साथ होना चाहिए।

4– फर्म द्वारा सम्बन्धित स्टीकर भी वाहन के विन्ड स्क्रीन की वायी ओर लगाया जायेगा।

5– फर्म द्वारा परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत प्रारूप में NO CNG LEAKAGE TEST CERTIFICATE जारी किया जायेगा एवं फर्म द्वारा लॉग बुक जारी कर रिकार्ड रखा जायेगा।

6– फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में जारी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा।

7– फर्म द्वारा अनुमति पत्र में लिखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

8– फर्म द्वारा परिवहन निगम द्वारा समय–समय पर दिये गये समस्त निर्देशो का पालन करना होगा।

9– परिवहन निगम द्वारा जारी कार्य आदेश को बिना कारण बताये, पूर्व में भी समाप्त किया जा सकता है।

10– यदि किसी फर्म को उपरोक्त टेण्डर प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी करनी हो अथवा कोई जिज्ञासा/शंका हो तो सम्बन्धित फर्म टेण्डर जमा करने से पूर्व किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, नोएडा में उपस्थित होकर अपनी शंका/जिज्ञासा का समाधान कर सकता है।

11– योग्य बिडर न पाये जाने की दशा में समिति समस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर पुनः टेण्डर करा सकती है। यह अधिकार समिति में निहित होगा।

12– प्राप्त किये गये ऑफर के विरुद्ध न्यूनतम दर की गणना करते समय लीकेज टेस्टिंग सेन्टर से डिपो की दूरी को भी संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

13– कार्यादेश अवधि मे किसी भी प्रकार का वैधानिक/अवैधानिक वाद–विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसके निस्तारण का अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित आर्बीट्रेशन समिति में निहित होगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14– सी0एन0जी0 लीकेज टेस्टिंग हेतु भेजे जानी वाली वाहनों को प्राप्ति के उपरान्त अपनी कार्यशाला में टेस्टिंग के बाद 24 घन्टे के अन्दर परिवहन निगम को संचालन हेतु उपलब्ध कराना होगा अन्यथा बिलम्ब के लिये परिवहन निगम द्वारा प्रतिबस/प्रतिदिन रू0 2,000/–पैनाल्टी वसूल की जायेगी।

निविदा में भागीदारी

निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व निविदा में भागीदारी फर्मों को अपना ऑफर एक बड़े लिफाफे में रख कर क्षेत्रीय प्रबन्धक, नोएडा के कार्यालय में उपलब्ध टेन्डर बॉक्स में डालना होगा। उपरोक्त बड़े लिफाफे में दो छोटे लिफाफे रखे जायेगे, जिस पर 'अ' एवं 'ब' लिखा होगा। लिफाफा 'अ' में फर्म को निम्न डाक्यूमेन्ट उपलब्ध कराने होगें:–

1. टेण्डर फीस रू0 1180/– एवं ई0एम0डी0 धनराशि रू0 25,000/– (एक पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो रीजनल मैनेजर, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, नोएडा (Regional manager, UPSRTC, NOIDA) के पक्ष में देय हो।
2. निविदा में भागीदारी हेतु आवश्यक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्र जैसा कि बिन्दु सं0 'अ' के 01 से 08 में वर्णित है।
3. मात्र उन्हीं फर्मो का लिफाफा 'ब' खोला जायेगा जो उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करेगी तथा सम्बन्धित दस्तावेज लिफाफा 'अ' में उपलब्ध करायेगी।

लिफाफा 'ब' में फर्म को अपने कार्य करने की दरों को निम्न प्रारूप में अंकित करना होगा:–

क्रमांक	फर्म का नाम एवं पता	संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण	कार्य	बेसिक दर	जी0एस0टी0	योग
1			सी0एन0जी0 लीकेज टेस्टिंग प्रति सिलेन्डर			

दिनांक: टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय प्रबन्धक
नोएडा।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
नोएडा।

पत्रांकः 2241 /क्षेप्र/नौएडा/टेण्डर/2018 दिनांक 1-8-2016

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्रधान प्रबन्धक (एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नोएडा।
7. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम को विज्ञप्ति वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
8. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।
9. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/कार्मिक) उ0प्र0 परिवहन निगम नोएडा।
10. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
11. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/डिपो कार्यालय नोएडा क्षेत्र।
12. Tender@upsrtc.com पर टेण्डर अपलोड करने हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
नोएडा।

घोषण पत्र का प्रारूप– प्रारूप 1

मै/हम जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, ने निविदा प्रपत्र की सभी नियम एवं शर्तो को पढकर भली–भांति समझ लिया है। मैं यह भी घोषण करता करता हूं कि निविदा में उल्लखित समस्त शर्ते एवं नियम हमे मान्य है तथा हम उन सभी शर्तो एवं नियमो का अनुपालन करने के लिये कृतसंकल्प है। मेने/हमने यह प्रस्ताव Under proper lawful Power of Attorney के अन्तर्गत हस्ताक्षर कर जमा किया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मुझे अथवा हमारी Prinicipal फर्म को अनुबन्ध को हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
पदनाम	
दिनांक	
कार्यालय सील	

शपथ पत्र का प्रारूप– प्रारूप 02

मैं/हम..शपथ पूर्व घोषणा करता/करती करते है कि मै अथवा मेरी फर्म, जो इस निविदा में भागीदारी कर रही है, को केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी भी शासकीय विभाग अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम तथा किसी भी राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)